न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 42/11 (RCMS No.2011/00005) (धारा 90बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

जौहरी नाथ पुत्र गणेश नाथ जाति जोगी निवासी ग्राम उदेई कला तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका गंगापुर सिटी
2. राजस्थान राजय द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी दिनांक 02.03.2001

उपस्थितिः—

1. श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

नि र्ण यदिनांकः—31.01.2018

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 02.03.2001 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं किअधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गंगापुर सिटी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 90बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम न्यायालय उप जिला कलक्टर प्राधिकृत अधिकारी गंगापुर सिटी को इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0 नं0 5488 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा वॉके ग्राम उदेई कला कृषि योग्य भूमि है जिसका अप्रार्थी जौहरी नाथ खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि का वगैर इजाजत अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में लिया है। अतः उक्त भूमि से प्रार्थीगणको बेदखल किया जाकर भूमि राज्य सरकार को दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एस.डी.ओ गंगापुर सिटी ने उक्त आराजी ख0 नं0 5488 करवा 1 बीघा 14 विस्वा को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(ख)(5) के अन्तर्गत जो नगर पालिका गंगापुर सिटी की सीमा के अन्तर्गत है पर से अप्रार्थी/अपीलान्ट के अधिकारों एवं हितों का पर्यावसान करते हुऐ भूमि पुनर्गृहण कर, नगर पालिका गंगापुर सिटी के अधीन रखने के आदेश दिनांक 02.03.2001 को पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपीलपेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश गोपनीय तरीके से पारित किया है। अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना तथा पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नही दिया है। विवादित आराजी अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। अपीलान्ट की बिना स्वीकृति के अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया है। आराजी आज भी कृषि के काम आ रही है, आबादी में नही है और आस पास इस भूमि के कोई मकानात वगैरहा भी नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नगर पालिका एवं पटवारी हलका से हुई जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्धान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी को अकृषि के उपयोग में लिया जा रहा है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी की किस्म चेन्ज नही करायी है। अधिशाषी अधिकारी ने धारा 90बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिये उपखण्ड अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी के लिये आवेदन किया था। अधेनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90बी के तहत भूमि को पुनर्गृहण कर, नगर पालिका गंगापुर सिटी के अधीन रखने के आदेश पारित किये है। अपीलान्ट को सुनवाई के लिये नोटिस जारी किया गया था परन्तु वह उपस्थित नही आये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।नगर पालिका गंगापुर सिटी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 90बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम न्यायालय उप जिला कलक्टर प्राधिकृत अधिकारी गंगापुर सिटी में पेश करते हुऐ कथन किया कि आराजी ख0 नं0 5488 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा वॉके ग्राम उदेई कला जौहरीनाथ के खातेदारी की आराजी है, जो कृषि भूमि है किन्तु खातेदार ने उक्त आराजी को अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में ले लिया है। अतः उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर भूमि राज्य सरकार को दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजी को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(ख)(5) के अन्तर्गत नगर पालिका गंगापुर सिटी के अधीन रखने के आदेश पारित किये।पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट को बिना सुने एवं अपीलान्ट की जानकारी में लाये बिना उसकी खातेदारी अधिकारों को समाप्त नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पर प्रोपर तामील नही हुई। अपीलान्ट को बिना सुने जो आदेश पारितकिया है, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.03.2001 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषितकिया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधारपरनिर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक31.01.2018को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official